<u>स्पीड पोस्ट/ई-मेल द्वारा</u>

भारत निर्वाचन आयोग

ईपीएबीएक्स 011-23717391-98
फैक्स 011-23713412/23739944
वेबसाइट: www.eci.nic.in

निर्वाचन सदन
अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 464/अनुदेश/2018-ईपीएस

दिनांक: 14 सितम्बर, 2018

सेवा में

सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों (राजस्थान को छोड़कर)
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय: विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन - बीएलओ द्वारा निर्वाचकों को फोटो मतदाता पर्चियां वितरित करना- तत्संबंधी।

महोदया/महोदय,

निर्वाचकों को फोटो मतदाता पर्चियों के वितरण से संबंधित आयोग के दिनांक 21 मार्च, 2014 के अनुदेश सं. 646/अनुदेश-वीएस/2014-ईपीएस के पैरा (ङ) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जो निम्नानुसार है:-

"(ङ) निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) बीएलओ द्वारा फोटो मतदाता पर्चियां वितरण करने के लिए अनुसूची तैयार करेंगे। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस अनुसूची की एक प्रति राजनैतिक दलों, मान्यता प्राप्त सभी राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेन्टों (बीएलए), यदि वे नियुक्त किए गए हैं, तथा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों और उनके एजेन्टों को दी जाएगी और इसकी पावती ली जाएगी।"

2. आयोग यह भी निदेश देता है कि रिटर्निंग अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उपर्युक्त अनुसूची समय से पर्याप्त पहले दी जाएगी और इसका सभी बीएलओ द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा।

3. इसे अनुपालन हेतु सभी संबंधित के संज्ञान में लाया जाए।

भवदीय,

(सुमित मुखर्जी)
प्रधान सचिव